न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी जिला जोधपुर ग्रामीण

पीठासीन अधिकारी श्री पुखराज कांसोटिया, आर.ए.एस

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्याः 13/2022

अपीलांट	**बनाम**	**रेस्पोडेन्टगण**
1. श्रीमती कमला देवी पुत्री स्व. श्री मुलाराम जाति मेघवाल ग्राम डोली तह. झंवर 2. चुकी देवी पुत्री स्व. श्री मुलाराम जाति मेघवाला ग्राम पाल तह. कुडी भगतासनी		1. ओमाराम पुत्र स्व. श्री मुलाराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम गंगाणा तह. झंवर 2. मोहनराम पुत्र श्री स्व. मुलाराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम गंगाणा तह. झंवर 3. भजनी देवी पुत्री स्व. श्री मुलाराम जाति मेघवाल निवासी बासनी द्वितीय फेस जोधपुर 4.बिदामी देवी पुत्री स्व. श्री मुलाराम जाति मेघवाल निवासी बासनी द्वितीय फेस जोधपुर

नामान्तरकरण अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 143 ग्राम गंगाणा जो कि सरपंच ग्राम पंचायत बोरानाडा द्वारा 20.01.1991 को स्वीकृत

निर्णय **दिनांक** 27/12/23

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम गंगाणा के खसरा नम्बर 48,98,36,38,38/2 की कुल भूमि 37.06 बीघा भूमि अपीलांट के पिता स्व. श्री मुलाराम पुत्र तिलाराम के खातेदारी में थी। उनके फौतेदगी नामान्तरकरण पश्चात् उनके दो पुत्र ओमाराम व मोहनराम तथा उनकी पत्नि के नाम भरा गया। जबकि वास्तविकता में मूलाराम की चार पुत्रियां है, उनका नाम उक्त नामान्तरकरण में दर्ज किया जाना चाहिए था इस कारण से उक्त अपील प्रस्तुत की गई। उक्त अपील अपीलांट की ओर से नामान्तरकरण संख्या 143 सरंपच ग्राम पंचायत बोरानाडा के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि नामान्तरकरण संख्या 143 ग्राम गंगाणा को निरस्त किया जाकर मुलाराम के सभी विधिक वारिसान के नाम नामान्तरकरण स्वीकृत करने का निवेदन किया। साथ ही धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलांट का नाम दर्ज नही होने की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 12.08.2022 को हल्का पटवारी द्वारा कहने

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी

पर हुई। अपीलांट अनपढ अनुसूचित जाति की ग्रामीण महिला है। इस कारण से अपील पेश करने में हुई देरी को कण्डोन करते हुए अपीलांट की अपील को अंदर मियाद शुमार करने का निवेदन किया है।

अपीलांट की अपील दर्ज की जाकर रेस्पोडेण्टगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विधिवत् नोटिस तामिल करवाये गये। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 की ओर से वकालातनामा पेश कर निवेदन किया कि अपील स्वीकार कर स्व. मूलाराम के सभी वारिसान् का बराबर हिस्सा 1/6–1/6 दर्ज किये जाने हेतु सहमत हैं। शेष रेस्पोडेण्ट को जवाब हेतु न्यायहित में अनेक अवसर देने के बावजूद जवाब अप्राप्त होने के कारण जवाब बंद किया गया। पत्रावली में बहस सुनी गई। अपीलांट अधिवक्ता द्वारा अपील में दिये गये तथ्यों को दोहराते हुए अपील स्वीकार करने का निवेदन किया। रेस्पोडेण्ट की ओर से अपील का खण्डन नही किया गया तथा अपील स्वीकार कर स्व. श्री मुलाराम के सभी विधिक वारिसान् का बराबर हिस्सा दर्ज किये जाने हेतु सहमति प्रदान की।

इन तथ्यों एवं पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील में हुई देरी को न्यायहित में कण्डोन करते हुए अपील को अंदर मियाद मानते हुए अपील को स्वीकार किया जाता है । अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 143 ग्राम गंगाणा , ग्राम पंचायत बोरानाडा द्वारा स्वीकृत को निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार झंवर को रिमांड कर आदेश दिया जाता है कि स्व. श्री मुलाराम पुत्र तिलाराम जाति मेघवाल निवासी गंगाणा के सभी विधिक वारिसान् की जांच कर नये सिरे से नामान्तरकरण दर्ज करें। निर्णय खुले इजलास सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हों।

(पुखराज कांसोटिया)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी
जिला जोधपुर ग्रामीण